

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3518
दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को उत्तरार्थ
भारत का बंजर भूमि मानचित्र

3518. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भारत के बंजर भूमि मानचित्र (वेस्टलैण्ड एटलस ऑफ इंडिया) का अगला संस्करण कब प्रकाशित होना है और इसमें कितनी समयावधि शामिल होगी;
- (ख) कतिपय पर्यावासों को बंजर भूमि घोषित करने के पीछे पारिस्थितिकीय मानदंड क्या हैं;
- (ग) क्या इन मानदण्डों को तैयार करते समय पारिस्थितिकीविदों, संरक्षणविदों और स्थानीय समुदायों से परामर्श किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) क्या सरकार की बंजर भूमि मानचित्र में प्रयुक्त बंजर भूमि की परिभाषा की समीक्षा करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क): भारत के बंजर भूमि एटलस का प्रकाशन, वर्ष 2000, 2005, 2010, 2011 और 2019 में हुआ था। बंजर भूमि एटलस के अगले संस्करण के प्रकाशन की तिथि और समय का निर्णय अभी नहीं किया गया है।

(ख) और (ग): भारत के बंजर भूमि एटलस के तहत, बंजर भूमि को परिभाषित करने के मानदंड, योजना आयोग (1987) द्वारा स्थापित तकनीकी कार्य समूह द्वारा अपनाई गई परिभाषा पर आधारित है, जो निम्नानुसार है:-

“बंजर भूमि को ऐसी अवक्रमित भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे युक्तिसंगत प्रयासों से वानस्पतिक कवर के तहत लाया जा सकता है और जिनका वर्तमान में कम उपयोग हो रहा है तथा जो उचित जल एवं मृदा प्रबंधन के अभाव में अथवा प्राकृतिक कारणों से और अधिक खराब हो रही हैं।”

(घ) वर्तमान में, बंजर भूमि की परिभाषा को परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
